

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छवड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
67/021	88, 89, 91, 92A, 188 आर टी	रूपारेल	दंडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
निरंजन	बनाम	हरिप्रसाद	
वकील :- श्री अजय कुमार श्रीवास्तव		वकील :-	

आदेश पत्रक

2021/148

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

25⁰⁸/₂₁

अभिभाषक प्राथी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92A, 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्जे सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 04-10-21 को पेश हो।

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021

12¹¹/₂₁

पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 ग्राम पञ्चयत भूजोस पर पेश हुई। पक्षकार नदी उपस्थित हुआ। वादी ने अपना दावा स्वेच्छा से वापिस ले लिया है इस प्रकरण में कोई कार्य नहीं रही जा रहा है। चूंकि उक्त वाद पत्र से पूर्व के क्षेत्र इन्ही प्रकृति के सीमान के न्यायालय में विचारार्थित है। देना बताया। अतः वाद पत्र में इसी स्टेज पर कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली प्रेशल ठाकर शांति दफ्तर हो।

मि. अजय कुमार श्रीवास्तव
हरिप्रसाद
निरंजन

उपखण्ड अधिकारी
छवड़ा, जिला बारां (राज0)